।। प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांक 1036 /12–1 , गोपेश्वर, दिनांक 15/09/2015।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्राण सेवा विभाग,
पीएमजीएसवाई खण्ड,कर्णप्रयाग।

विषयः– **जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मींग गधेरा से डांगतौली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.919 है0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड्ल अधिकारी वन संरक्षण, देहरादून का पत्रांक 582/FP/UK/ROAD/9582/2015 दिनांक 19–08–2015।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो आपको व इस कार्यालय को पृष्टांकित है के क्रम में अवगत करना है कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग को शासनादेश संख्या 08बी/यू0सी0पी0/06/60/2015/एफ0सी0 /985 दिनांक 14–08–2015 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसमें लगायी गयी शर्तो के अनुरूप नोड्ल कार्यालय के बिन्दु संख्या–04 के अनुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित सभी शर्तों की अनुपालन आख्या/ऑनलाईन चालान को अपलोड़ कर आप द्वारा निम्नानुसार धनराशि जमा करायी जानी है–

1. शर्त संख्या–01 के अनुपालन में ग्राम सनेड़ व ज्यूड़ा में 7.838 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 16,41,010.00 (सौलह लाख इकतालिस हजार दस रूपये) की धनराशि जमा की जानी है।
2. शर्त संख्या–02 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि को आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु नामान्तरण की कार्यवाही कराकर अभिलेख प्रस्तुत किया जाना है।
3. शर्त संख्या–03 के अनुपालन में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली, के पत्र 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 में उल्लिखित दरों के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 33,11,555.00 (तेतीस लाख ग्यारह हजार पॉच सौ पचपन रूपये) जमा की जानी है।
4. शर्त संख्या–04 के उनपालन में डिमान्ड़ नोट को ऑन लाईन अपलोड़ कर सत्यापन उपरान्त शर्त संख्या–01 च 03 की धनराशि का भूगतान किया जाना है।
5. शर्त संख्या–05 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों में बढ़ोतरी होने पर जमा किये जाने की बचनबद्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है।
6. शर्त संख्या–06 के अनुसार बिन्दु संख्या 01 से 03 की धनराशि RTGS के माध्यम से केम्पा के दिये गये A/C में धनराशि जमा की जानी है।
7. शर्त संख्या–07 के अनुपालन में प्रस्ताव के पृष्ट संख्या–57 में दिये गये प्राक्कलन के अनुसार रूपये 20,60,000 (बीस लाख साठ हजार) की धनराशि सड़क के दोनों किनारों एवं Central Verge पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation पर खर्च की जानी है। यदि आपके विभाग द्वारा वृक्षारोपण करने में किसी प्रकार की काई परेशानी हो तो धनराशि को वन विभाग के पक्ष में भी जमा कराया जा सकता है।
8. शर्त संख्या–08 के अनुपालन में प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–65 में दिये प्राक्कलन के अनुसार मलवा निस्तारण स्थलों पर वृक्षारोपण हेतु रूपये 15,56,000.00 (पन्द्रह लाख छप्पन हजार रूपये) की धनराशि प्रभागीय कार्यालय में जमा की जानी है।

अतः आप शासन द्वारा प्रदंत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों एवं उपरोक्त धनराशि के जमा किये जाने की सूचना सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि अनुपालन आख्या को उच्च स्तर पर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सकें।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक 1036 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड्ल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून को सचनार्थ प्रेषित।